देहरादून, शुक्रवार
17 अप्रैल, 2026
नगर संस्करण **
मूल्य ₹ 7.00
पृष्ठ 22+4=26

दैनिक जागरण

www.jagran.com
उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल से प्रकाशित

महंगे तेल के बावजूद 6.3% बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी 15

ईरान युद्ध पर ट्रंप की शक्तियों को सीमित करने की कोशिश नाकाम

अवैध खनन पर विभाग की कार्रवाई 9.5 लाख रुपये का जुर्माना वसूला

संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला : अवैध खनन और नदियों के सीने को छलनी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डोईवाला तहसील के अंतर्गत मारखम ग्रांट और थानो क्षेत्र में खनन विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध खनन और भरान के मामले में कार्रवाई की है। विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपितों से कुल 9.5 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला है। इस कार्रवाई के बाद से क्षेत्र के खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।

जिला खान अधिकारी ऐश्वर्य शाह के निर्देशन में गठित टीम ने पहली बड़ी कार्रवाई मारखम ग्रांट के झबरावाला क्षेत्र में की।

यहाँ सुसवा नदी के ठीक किनारे नियमों को ताक पर रखकर न केवल चहारदीवारी खड़ी की गई थी, बल्कि नदी से ही अवैध रूप से उपखनिज निकालकर बड़े पैमाने पर भूमि समतलीकरण का कार्य किया जा रहा था।

सहायक खनिज पर्यवेक्षक पंकज चंद ने बताया कि मौके पर अवैध उपखनिज की पैमाइश की गई, जिसके बाद दोषी से पांच लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है। विभाग ने दूसरी कार्रवाई थानो क्षेत्र में की है। यहां भी बिना अनुमति के उपखनिज से जमीन का भरान किया जा रहा था। विभाग ने मौके पर दबिश देकर कार्य रुकवाया और अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित पक्षों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की। दोनों क्षेत्रों को मिलाकर कुल 9.5 लाख रुपये का जुर्माना सरकारी खजाने में जमा कराया गया है।

झबरावाला मे सुसवा नदी के किनारे अवैध खनन कर भरान पर कार्रवाई करते सहायक खनन पर्यवेक्षक पंकज चंद • विभाग

> "अवैध खनन और नदियों के स्वरूप से छेड़छाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मारखम ग्रांट और थानो में की गई कार्रवाई एक चेतावनी है। भविष्य में भी विभाग का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।"
>
> – **पंकज चंद**, सहायक खनिज पर्यवेक्षक